

Topic - Process of Constitutional  
Amendment.

Class - B.A. Degree - II (Hons. P-III)

Subject - Political Science

Date - 11 Nov., 2020

By Rahul Kumar Jha.

संविधान संशोधन की प्रक्रिया :-

संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित किर्तिहर उपबंध है। इसके अनुसार संसद संघ की संविधाधी शक्ति का भंडार है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है -

1. संसद द्वारा संशोधन :- संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, जिन्हें संसद संसद द्वारा संशोधन कर सकती है और संसद द्वारा इस प्रकार किए गए संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उदाहरण के तौर पर राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने, राज्यों के क्षेत्र को कम करने या बढ़ाने



करने, राज्यों में विधान परिषदों की गठित करने  
या समाप्त करने, अनुच्छेद 2 में, जिसमें राष्ट्रपति,  
राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों  
के न्यायाधीशों के पैनल में हफ्ते या कभी करने  
आदि के लिए किये जाने वाले संशोधन सम्पन्न  
बहुमत से किए जाते हैं।

2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन :- संसद  
के विशेष बहुमत द्वारा किये जाने वाले संवै-  
धानिक परिवर्तन की संविधान संशोधन कहा  
जाता है। इस प्रकार के संविधान संशोधन करने  
के लिए सैंट्रल विजियर संसद के किसी भी  
सदन में पेश किया जाता है। इस प्रकार  
पेश विजियर की सदन द्वारा विशेष बहुमत  
से पारित किया जाता चाहिए। विशेष बहुमत  
से पारित किये जाने वाले विजियर की दूसरे  
सदन की भी पारित होना चाहिए। जब दूसरा  
सदन भी विशेष बहुमत से विजियर की  
पारित कर दे, तब उसे राष्ट्रपति की समीक्षा



के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की समझौते पर विशेष अतिरिक्त वंश में प्रवर्धित हो जाता है।

3. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से लोकमान संशोधन :- कुछ ऐसे विषय हैं, जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आर्थिक व अति राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन क होना चाहिए जैसे:- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल तथा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राज्य तथा राज्यों की कार्यपालिका अथवा का विचार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जज तथा सेवाधिकार, लालची बुद्धि में वर्जित बुद्धिओं की प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकमान संशोधन अदि।

उक्त का संशोधन के लिए दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से वादित करने के बाद इसे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन करने के लिए भेजा जाता है। आर्थिक व अति राज्यों द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की समझौते मिलने के बाद विशेष अतिरिक्त वंश में प्रवर्धित हो जाता है।